न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/53

1. संजय पुत्र औमलता पिता ईश्वरदत्त, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम कंवाली तहसील रेवाडी जिला रेवाडी, हरियाणा–123411

––अपीलान्ट

बनाम

1. देवेन्द्र पुत्र स्व. श्री मूलिया,
2. रामनिवास पुत्र स्व. श्री मूलिया,
3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री मूलिया, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी वार्ड नम्बर 9, पुराना जैन मन्दिर के पास तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर–301411

––रेस्पोडेन्ट्स

4. श्रीमती सीमा शर्मा पुत्री ईश्वरदत्त जाति ब्राहाम्ण हाल निवासी बीजवाडा चौहान, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा, तहसील तिजारा, जिला अलवर–301411

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम चौधरी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विजय सिंह राठौड़ एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से

## निर्णय

दिनांकः 27.06.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 0.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.18 हैक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.27 हैक्टयर श्री मूलिया पुत्र श्री अर्जन जाति ब्राहम्ण की खातेदारी भूमि थी और राजस्व भू अभिलेखों में उसका नाम खातेदार के रूप में दर्ज था तथा मूलिया पुत्र श्री अर्जन का. वर्ष 1984 में स्वर्गवास हो गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि श्री मूलिया के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनके तीन पुत्र देवेन्द्र कुमार, रामनिवास एवं महेन्द्र कुमार, व एक पुत्री औमलता तथा बेवा चमेली बहिस्सा बराबर उत्तराधिकारी हुये, पुत्री औमलता का स्वर्गवास हो जाने की वजह से उनके कानूनी उत्तराधिकारी अपीलार्थी एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमती सीमा शर्मा हुये उक्त स्थिति स्पष्ट हो जाने के बावजूद तहसीलदार तिजारा ने अपीलार्थी की माता औमलता का नोटिस व सुनवाई का मौका दिये बिना ही श्री मूलिया की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 845 दिनांक 05.02.1984 को मात्र श्री देवेन्द्र कुमार, रामनिवास, महेन्द्र कुमार व बेवा चमेली के नाम ही तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलार्थी की माता औमलता को पूर्व में कोई जानकारी नही हो सकी।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी की माता तथा देवेन्द्र कुमार, रामनिवास, महेन्द्र कुमार आपस में सगे भाई–बहन है और एक ही परिवार के सदस्य होने की वजह से अपीलार्थी की माता इस विश्वास में रही कि विधिक स्पष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत उनका नाम राजस्व भू अभिलेखों में अंकित हो गया होगा तथा पूर्व में अपीलार्थी की माता को राजस्व भू अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात की जानकारी करने की अवश्यकता नही पड़ी। मूलिया जी के देहान्त के पश्चात् तत्समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो अपीलार्थी की माता का भाई है, ने अपीलार्थी की माता को बताया कि पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी की भूमियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक सभी भाई–बहन व माताजी के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी है उसके पश्चात् अपीलार्थी की माता औमलता का वर्ष 2009 में देहान्त हो गया उसके पश्चात् चमेली बेवा मूल्या का भी वर्ष 2014 में देहान्त हो जाने के पश्चात् उसकी विरासत के सम्बन्ध में वर्ष 2018 में जानकारी किये जाने पर उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.02.2018 को दिये जाने पर दिनांक 06.03.2018 नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 06.03.2018 को नकल प्राप्त होने पर प्रथमतः नामान्तरकरण की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थी ने जिला कलक्टर अलवर के समक्ष एक अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 96 व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गई जिस अपील की सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2021 में पहले तो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुये तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश पारित कर दिया और उसके पश्चात् गुणावगुण पर विचार किये बिना ही उपरोक्त अपील को मियाद बाहर होना जाहिर करते हुये खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 845 दिनांक 05.02.1984 को यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी की माता मृतक खातेदार मूलिया की जायन्दा पुत्री है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक वारिस है, उसके उपरान्त भी नामान्तरकरण संख्या 845 दिनांक 05.02.1984 तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी की माता को ना तो नोटिस जारी किया गया, ना ही विधिक वारिसान की कोई जॉच की गई जिस कारण से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 845 शुरू से ही विधि शून्य, त्रुटिपूर्ण और अवैध होने से उसे चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा कानून में बाधित नही है एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने अपने अनेकों निर्णयों में यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रकरण गुणावगुण पर ठोस हो तो न्याय की दृष्टि से न्यायालय को मियाद के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुये प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद को कण्डोन करने के पश्चात अपील मियाद बाहर मानते हुये विरोधाभाषी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2021 पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 845 वाके ग्राम तिजारा पर तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.1984 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक मूलिया की विरासत उसके समस्त कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम तस्दीक फरमाये जाने के आदेश पारित किये जावें।

राजस्व अपील आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट की माता को पूर्व से ही रही है तथा अपीलान्ट की माता औमलता ने मृतक मूलिया की विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध अपने जीवनकाल में कोई अपील दायर नही की है तथा अपीलान्ट की माता के देहान्त के करीब 9–10 वर्ष बाद अपीलान्ट ने बदनियतिपूर्वक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी जबकि विलम्ब का कारण दिन प्रतिदिन के हिसाब से बताना कानूनन आवश्यक होता है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई संतोषजनक कारण नही बताया गया है जिससे अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद माना जा सके। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 05.02.1984 का है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा असाधारण विलम्ब लगभग 34 वर्ष के विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो खारिज योग्य ही थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय विवेचन के प्रथम पैरा में अपीलार्थी की अपील के विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया गया है, तत्पश्चात् विवेचन के दूसरे पैरा में बिना वैधानिक कारण के अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन नही किया जा सकता मानते हुए अपील खारिज की गई है जिससे अपीलाधीन निर्णय विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 त्रुटिपूर्ण है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/6/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।